रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092022-238981 CG-DL-E-21092022-238981

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 635] No. 635] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 21, 2022/भाद्र 30, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 21, 2022/BHADRA 30, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली. 21 सितम्बर. 2022

सं. 27/2022-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.िन. 716(अ).—जहाँ कि चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहाँ से निर्यातित और भारत में आयाितत 'हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) घटक आर-32' (एतिश्मिन् पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतिश्मिन् पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ उप-शीर्षक 2903 39 के अंतर्गत आता है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 6/33/2020- डीजीटीआर, दिनांक 23 सितंबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय तक पहुँचे हैं कि –

- (i) विषयगत देश से विषयगत वस्तु का भारत में निर्यात उसके सामान्य से कम मूल्य पर किया गया है, जिसके कारण यहाँ इसकी भरमार हो गई है;
- (ii) विषयगत देश से इस प्रश्नगत उत्पाद की यहाँ भरमार होने के कारण यहाँ के घरेलू उद्योगों को सारवान क्षति हुई है;
- (iii) यह सारवान क्षति विषयगत देश से विषयगत वस्तु के फालतू आयात के कारण हुई है,

और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुई इस प्रकार की क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहाँ से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी:

6310 GI/2022 (1)

और जहाँ कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 75/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), जिसे सा.का.नि. 874(अ) दिनांक 21 दिसंबर, 2021, के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत उक्त विषयगत वस्तु पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जहाँ कि झेजियांग क्योज़ोऊ जुक्सिन फ्लोरीन केमिकल कं, लिमिटेड और झेजियांग कुहुआ फ्लोर-केमिस्ट्री कं, लिमिटेड ने उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध किया था कि अधिसूचना संख्या 6/33/2020- डीजीटीआर, दिनांक 23 सितंबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित अंतिम निष्कर्षों की शुल्क-सारणी में सहकारी उत्पादक मैसर्स झेजियांग क्योज़ोऊ जुक्सिन फ्लोरीन केमिकल कं, लिमिटेड का नाम बदलकर मैसर्स झेजियांग कुहुआ फ्लोर-केमिस्ट्री कं, लिमिटेड कर दिया जाए;

और जहाँ कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 07/04/2022- डीजीटीआर, जिसे दिनांक 09 मई, 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण के के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यह अनुरोध केवल नाम बदले जाने की श्रेणी में आता है और इसमें स्वामित्व को लेकर ऐसे किसी परिवर्तन की बात नहीं है जिससे कि कार्य व्यापार की मूल प्रकृति में कोई अंतर होता हो और उन्होंने अपने अंतिम निष्कर्ष वाली अधिसूचना संख्या 6/33/2020- डीजीटीआर, दिनांक 23 सितंबर, 2021 में उत्पादक अर्थात झेजियांग क्योज़ोऊ जुक्सिन फ्लोरीन केमिकल कं, लिमिटेड का नाम बदलकर झेजियांग कुहुआ फ्लोर-केमिस्ट्री कं, लिमिटेड किए जाने की सिफारिश की है;

अत: अब सीमाशुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उनका आकलन, उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षिति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 क की उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 75/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), जिसे सा.का.नि. 874(अ), दिनांक 21 दिसंबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II. खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 2 के समक्ष, कॉलम 6 में प्रविष्टि के स्थान पर "झेजियांग कुहुआ फ्लोर-केमिस्ट्री कं, लिमिटेड" प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/244/2021-टीओ(टीआरयू-I)-सीबीईसी]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2022

No. 27/2022-Customs (ADD)

- **G.S.R.** 716(E).—Whereas, in the matter of 'Hydrofluorocarbon (HFC) Component R-32' (hereinafter referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country), falling under tariff sub-heading 2903 39 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), and imported into India, the designated authority in its final findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, *vide* notification number 6/33/2020-DGTR, dated the 23rd September, 2021, had come to the conclusion that
 - (i) the subject goods have been exported to India from the subject country below its normal value, resulting in dumping;
 - (ii) the domestic industry had suffered material injury due to dumping of the product under consideration from the subject country;
 - (iii) the material injury had been caused by the dumped imports of the subject goods from subject country,

and had recommended imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry;

And whereas, on the basis of the aforesaid final findings of the designated authority, the Central Government had imposed the anti-dumping duty on the subject goods, *vide* notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 75/2021-Customs (ADD), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 874(E), dated the 21st December, 2021;

And whereas, Zhejiang Quzhou Juxin Fluorine Chemical Co., Ltd. and Zhejiang Quhua Fluor-Chemistry Co., Ltd. requested the designated authority for changing the name of cooperating producer from M/s Zhejiang Quzhou Juxin Fluorine Chemical Co., Ltd. to M/s Zhejiang Quhua Fluor-Chemistry Co., Ltd. in the duty table of the final findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, *vide* notification number 6/33/2020-DGTR, dated the 23rd September, 2021;

And whereas, the designated authority, *vide* notification No. 07/04/2022-DGTR, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 9th May, 2022, has come to the conclusion that the request falls within the category of name change only and there is no change in the ownership in a manner that alters the basic nature of the business and recommended that the name of the producer viz. "Zhejiang Quzhou Juxin Fluorine Chemical Co., Ltd" be amended to "Zhejiang Quhua Fluor-Chemistry Co., Ltd." in its final findings notification No. 6/33/2020-DGTR, dated the 23rd September, 2021;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid notification No. 07/04/2022-DGTR of the Designated Authority, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 75/2021-Customs (ADD), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 874(E), dated the 21st December, 2021, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 2, in Column 6, for the entry "Zhejiang Quhua Fluor-Chemistry Co., Ltd." shall be substituted.

[F. No. CBIC-190354/244/2021-TO(TRU-I)-CBEC]
NITISH KARNATAK, Under Secy.